भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 107B/2016-17

अमूल्य महतो **बनाम** श्रीमति गौरी रानी महतो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
07-02-18		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, गम्हरिया के पत्रांक 42 दिनांक 06.01.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 107 B/2016–17 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता अमूल्य महतो पिता स्व0 जगरनाथ महतो, ग्राम–छोटा गम्हरिया थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोधन हेतु क्रेता श्रीमति गौरी रानी महतो पति गगन चन्द्र महतो, ग्राम–छोटा गम्हरिया, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
छोटा गम्हरिया	67	40	711	5.15 डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के ही नाम से पंजी–II में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। आवेदक के हिस्से में 2.03 एकड़ जमीन है, जिसमें से 5.15 डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 1.97.85 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी', जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 5.15 डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

07/02/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner